# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

**सूचना का अधिकार अपील 06/2024**

| अपीलांटः– | बनाम | रेस्पोडेंट :– |
|---|---|---|
| सज्जन सिंह | | उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा |

## आदेश

दिनांक 30.04.2024

अपीलार्थी सज्जन सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर हाल निवासी मकान संख्या एन 23 आशियाना अमरबाग पाली रोड़ कुड़ी, जोधपुर ने प्रथम अपील उतरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

रेस्पोडेंट द्वारा सुनवाई तिथि को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2023 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली के संलग्न दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु सूचना मांगी गई थी। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 16.02.2023 को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा को प्रेषित किया गया था। अपीलार्थी की उक्त अपील अस्वीकार कर प्रकरण खारिज जाए। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित।

हमने प्रस्तुत अपील, राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई सूचना एक प्रकार की शिकायती पत्र पेश किया है न कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार सूचना मांगी गई है। साथ ही दिनांक 10.02.2023 को उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल ही दिनांक 16.02.2023 को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालोतरा को प्रेषित किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील खारीज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होन से खारीज की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 30.04.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा